यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग) के माह 06/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस.के. गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री गौरव पंत, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 30.05.2017 से 02.06.2017 तक श्री आई.के. जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राकेश रंजन, सुश्री मानसी जैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री विनीत कुमार राही, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09.06.2015 से 12.06.2015 तक श्री हनुमान सिंह, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 05/2012 से 05/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

इकाई द्वारा उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य केन्द्र में रोगियों को निःशुल्क उपचार प्रदान करना एवं औषधि उपलब्ध कराना है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सामान्यतः सम्पूर्ण विकास खण्ड है फिर भी स्वास्थ्य केन्द्र में आने वाले समस्त रोगियों का इलाज किया जाता है।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रा. अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	-	22.48	373.45	365.43	51.71	37.03	-	8.02	-	37.16
2015-16	-	37.16	360.45	329.93	50.50	55.96	-	30.52	-	31.70
2016-17	-	31.70	374.69	355.63	76.27	73.28	-	19.06	-	34.69

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2014-15	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	22.48	51.71	37.03	-	37.16
2015-16	तदैव	37.16	50.50	55.96	-	31.70
2016-17	तदैव	31.70	76.27	73.28	-	34.69

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रूद्रप्रयाग के द्वारा प्राप्त होता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई सी श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है।

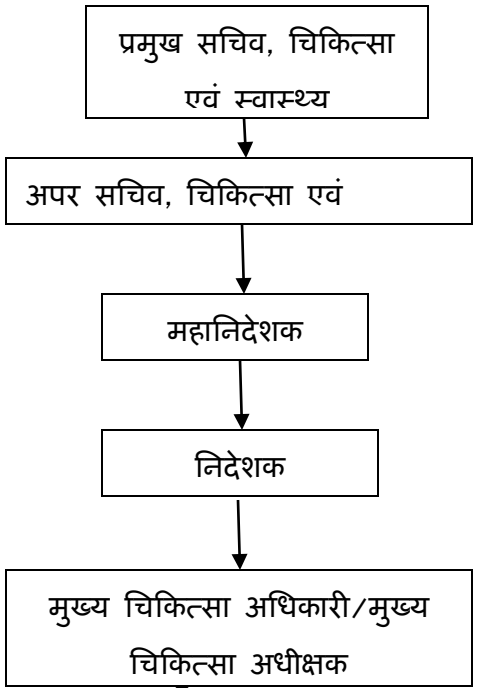

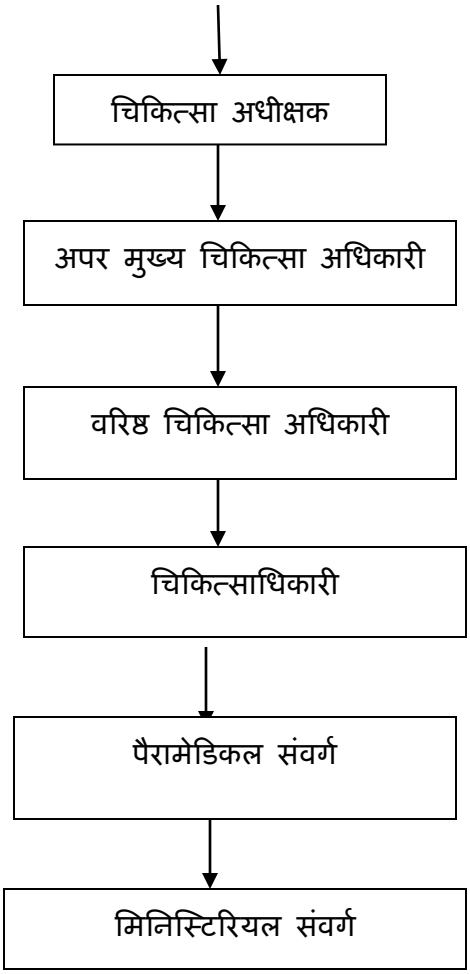

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊठीमठ (रूद्रप्रयाग) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2016 व मार्च 2017 को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- गर्भवती महिला लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदत्त रू. 15.41 लाख का अनियमित भुगतान।

जननी सुरक्षा योजना शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत अप्रैल 2005 में प्रारम्भ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना था ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु की दर को कम किया जा सके। जननी सुरक्षा योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव कराने पर महिला को प्रोत्साहन राशि के रुप में ग्रामीण क्षेत्र में रु0 1400 एवं शहरी क्षेत्र में रु0 1000 का भुगतान चैक के माध्यम से किया जाना चाहिए। योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि के वितरण हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार (i) समस्त भुगतान प्रसव के पश्चात् डिस्चार्ज के समय प्रदान किया जाएगा, (ii) प्रत्येक लाभार्थी के फोटोग्राफ या तो प्रसव के समय या भुगतान करते समय लिया जाना आवश्यक है, (iii) लाभार्थी को प्रसव के पश्चात कम से कम 48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्र में रुकना आवश्यक है, एवं (iv) चैक प्राप्तकर्ता के फोटोग्राफ के सत्यापन हेतु आवश्यक साक्ष्य/अभिलेख लिए जाय ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रसव प्रमाणपत्र में उल्लिखित लाभार्थी को ही चैक निर्गत किया गया है।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग) के जननी सुरक्षा योजना से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊखीमठ के अधीन कुल 1113 संस्थागत प्रसव हुए थे जिसके अन्तर्गत महिला लाभार्थियों को **प्रोत्साहन राशि के रूप में** रु0 15,41,400.00 की धनराशि चैक के माध्यम से निर्गत की गई। संस्थागत प्रसव से सम्बन्धित जननी सुरक्षा योजना कार्डों, प्रसव पंजिकाओं, चैक पंजिका एवं डिस्चार्ज स्लिपों की नमूना जॉच में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आयेः–

1. गर्भवती महिला को किए गये चैक भुगतान की तिथि कार्ड में अंकित नहीं थीं, जिसके परिणामस्वरुप लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि समस्त भुगतान प्रसव के पश्चात् डिस्चार्ज के समय ही प्रदान किए गये थे या विलम्ब से किए गये थे।
2. जे0एस0वाई0 कार्ड पूर्ण रुप से नहीं भरे गये थे अर्थात प्रार्थी को भुगतान शहरी क्षेत्र के हिसाब से किया गया था जबकि कार्ड में ग्रामीण क्षेत्र अंकित था।
3. प्रत्येक लाभार्थी के फोटोग्राफ से सम्बन्धित साक्ष्य जे0एस0वाई0 कार्ड या अन्य अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे जो यह सुनिश्चित कर सके कि प्रसव प्रमाणपत्र में उल्लिखित लाभार्थी को ही चैक निर्गत किया गया था।

4. प्रसव कराने पर महिला को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु लाभार्थी को प्रसव के पश्चात कम से कम 48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्र में रुकना आवश्यक था, परन्तु प्रसव पंजिका एवं डिस्चार्ज स्लिप में पाया कि समस्त 1113 प्रसव प्रकरणों में से एक भी प्रकरण में कोई भी महिला लाभार्थी स्वास्थ्य केन्द्रों में 48 घण्टे तक नहीं रुकी।
5. अधिकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जे0एस0वाई0 कार्ड सत्यापित नहीं किए गये थे।

इस प्रकार, योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि वितरण हेतु निर्धारित शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित न किए जाने के परिणामस्वरुप विगत दो वर्षों में इस हेतु प्रदत्त धनराशि रु0 15,41,400.00 अनियमित सिद्ध हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि गर्भवती महिलाओं एवं उनके आश्रितों के अनुरोध पर योजना के निर्देशों का समुचित पालन नहीं हो पाता है, भविष्य में संबंधित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चि किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना में संस्थागत प्रसव के पश्चात प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि हेतु स्पष्ट निर्देश निर्गत किए गये थे, जिनका संज्ञान प्रोत्साहन राशि निर्गत करने से पूर्व किया जाना चाहिए था।

अतः गर्भवती महिला लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदत्त रू. 15.41 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- रू. 1.27 लाख के उपकरणों का अक्रियाशील रहना।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग) के उपकरणों से सम्बन्धित पंजिकाओं एवं अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि स्वास्थ्य केन्द्र में निम्नलिखित उपकरण सम्बन्धित सर्जन एवं दन्त शल्यक के अभाव में उनकी प्राप्ति की तिथि से अनुपयोगी पडे हुए हैं। जिसके परिणामस्वरुप रु0 1,26,551.00 की लागत के उपकरण अक्रियाशील अवस्था में ही पडे हुए हैंः–

क्र0 सं0	उपकरण का नाम	प्राप्ति की तिथि	मूल्य	उपयोगिता	अक्रियाशील होने का वर्ष
1.	डिजिटेल डेंटल एक्स–रे मशीन	26.03.2011	47,025.00	दन्त चिकित्सा	26.03.2011
2.	हाईड्रालिक ओ0टी0 टेबल	21.11.2014	38,676.00	सर्जरी	21.11.2014
3.	उच्चदाब स्टरीलाईजर	07.12.2010	40850.00	सर्जरी	07.12.2010
	योगः–		**1,26,551.00**		

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि समस्त अक्रियाशील उपकरण महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा आपूर्ति की गई है। स्वास्थ्य केन्द्र में सर्जन एवं दन्त चिकित्सक के पद पर कोई चिकित्सक तैनात न होने के कारण उक्त उपकरण प्राप्ति की तिथि से 31.08.2013 तक कार्य के पश्चात आज तिथि तक क्रियाशील नहीं है।

अतः रू. 1.27 लाख के उपकरणों के अक्रियाशील रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-3- अधिष्ठान मद की रोकड़ बही एवं उससे संबंधित अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग) के अधिष्ठान से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख लेखापरीक्षा जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

1. अधिष्ठान रोकड बही में मार्च 2016 के पश्चात् की न तो कोई प्रवृष्टियॉ की गई थी एवं न ही लेखापरीक्षा अवधि के मासिक व्यय बाउचर, कोषागार समाधान विवरण, चैकबुक पंजिका, 11–सी पंजिका एवं बजट से सम्बन्धित अभिलेख लेखापरीक्षा जॉच हेतु उपलब्ध करवाये गये। उक्त अभिलेखों के अभाव में अधिष्ठान से सम्बन्धित किसी भी व्यय भुगतान की लेखापरीक्षा में जॉच नहीं की जा सकी।

2. कार्यालय द्वारा अधिष्ठान हेतु प्राप्त बजट आबंटन एवं ब्यय से सम्बन्धित मासिक लेखे लेखापरीक्षा जॉच हेतु उपलब्ध नहीं करवाये गये, जिसके अभाव में न तो अधिष्ठान मद के माह का चयन ही किया जा सका एवं न ही वार्षिक बजट आबंटन एवं वास्तविक व्यय का सत्यापन किया जा सका।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अधिष्ठान में वरिष्ठ सहायक नियमित रूप से तैनात न होने के कारण रोकड़ बही में अंकन एवं उससे संबंधित अभिलेख पूर्ण से तैयार नहीं है। शीघ्र ही समस्त अभिलेखों को अद्यतन कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान सत्यापित करा लिया जाएगा।

अतः अधिष्ठान मद की रोकड़ बही एवं उससे संबंधित अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण का प्ररकण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- अर्जित ब्याज की धनराशि रू. 6.40 लाख की राजकोष में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के पत्रांक संख्या–वित्त अनुभाग–3/2003–04 दिनॉक 30 अप्रैल 2003 में निर्देशित आदेशों के अनुसार यदि किसी विशिष्ट कारणों से समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपभोग न किया जा सके तथा उस पर ब्याज अर्जित हो, तो इस प्रकार अर्जित धनराशि राजकोष में लेखाशीर्षक 0049– ब्याज प्राप्तियॉ 04–राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियॉ 800– अन्य प्राप्तियॉ, 12 अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा किया जाना चाहिए।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग) के लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में कार्यालय को बैंक ब्याज के रुप में कुल 6,39,657.00 की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

(धनराशि रुपये में)

वर्ष	आर0सी0एच0	एन0आर0एच0एम0	टीकाकरण	योग
2015–16	83,872.00	117986.00	51549.00	2,53,407.00
2016–17	1,42,716.00	1,64,433	79,101.00	3,86,250.00
योगः–				**6,39,657.00**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अर्जित ब्याज की धनराशि को उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर राजकोष में जमा कर दिया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि बैंक खातों से प्राप्त अर्जित ब्याज को समय-समय पर राजकोष में जमा किया जाना चाहिए था।

अतः ब्याज की धनराशि रू. 6.40 लाख को राजकोष में जमा न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-**III**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या
47/2015-16	-	1,2,3 एवं 4 स्टैन-1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
47/2015-16	भाग-दो(ब) प्रस्तर-1	इकाई द्वारा कोई अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अनुपालन के अभाव में प्रस्तर यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	
	भाग-दो(ब) प्रस्तर-2	इकाई द्वारा कोई अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अनुपालन के अभाव में प्रस्तर यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	
	भाग-दो(ब) प्रस्तर-3	इकाई द्वारा कोई अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अनुपालन के अभाव में प्रस्तर यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	
	भाग-दो(ब) प्रस्तर-4	इकाई द्वारा कोई अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अनुपालन के अभाव में प्रस्तर यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	
	STAN प्रस्तर-1	इकाई द्वारा कोई अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अनुपालन के अभाव में प्रस्तर यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

   लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(I) अधिष्ठान से संबंधित रोकड़ बही एवं अन्य समस्त अभिलेख

2. सतत् अनियमितताएं

(I) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1	डॉ. चौबे सचिन प्रभाकर	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	27.05.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग) को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अंदर सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.